प्रेषक,

रामानन्द,
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1 बरेली।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद बरेली।

विषयः– *मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 9691/IV-F-82 (Pension) /एडमिन ए अनुभाग दिनांकित 16.07.2024 एवं शासनादेश संख्या 14/2024/सा0–3–243/दस–2024/301(1)2024 दिनांकित 28 जून, 2024 अन्तर्गत पुरानी पेंशन चयन **विकल्प पत्र पुनः प्रेषण** के सम्बन्ध में,*

महोदय,

1. सादर निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग–4, संख्या–2430/दो–4–06–32(1)2001 टीसी 1) से हुई थी।

2. प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं0 1172/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुकम में दिनांक 17.06.2006 को जनपद बलरामपुर में अपर सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

3. प्रार्थी की नियुक्ति *उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22–28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0–ए–2/ई–1/2003 के अन्तर्गत हुई थी।* इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/ दस–2024/301(1) 2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुकम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

4. प्रार्थी ने शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अपना विकल्प पत्र, प्रावरण पत्र (covering letter) के साथ संलग्न कर प्रेषित किया था, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने पत्रांक 1901/XV, दिनांक 16.07.2024 को अग्रसारित किया था परन्तु सहवन विकल्प पत्र पर उनकी संस्तुति नहीं हो पायी थी जबकि उक्त पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति अनिवार्य है। अतः विकल्प पत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश की संस्तुति के पश्चात पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

5. अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को *पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु विकल्प पत्र* माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

भवदीय

दिनॉकः जुलाई 25, 2024

(रामानन्द) 25/7/024
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1 बरेली।

1959/XV 25/07/2024

संलग्नकः–
पूर्व प्रेषित पत्र दिनांकित 16.07.2024 मय विकल्प पत्र।

शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–278/दस–2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक–

## विकल्प पत्र

1. नाम ..................................................................रामानन्द
2. वर्तमान पदनाम....................................................विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, बरेली
3. वेतनमान..............................................................रू0 1,78,150/–
4. वर्तमान विभाग का नाम...........................................न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम
   नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति
   जारी करने वाले विभाग का नाम.................................न्याय विभाग
6. विज्ञप्ति की तिथि ...................................................ए–2/ई–1/2003 रोजगार समाचार 22–28 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि..............................26.05.2006
8. योगदान की तिथि...................................................17.06.2006
9. जन्मतिथि.............................................................20.05.1970
10. सेवानिवृत्ति की तिथि ..............................................31.05.2030

मैं रामानन्द पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राम निहोर निषाद शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✓)**/नवीन पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

(रामानन्द) 25/7/2024
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1 बरेली

## घोषणा पत्र

मैं रामानन्द पदनाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, बरेली यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

(रामानन्द) 25/7/2024
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1 बरेली

## सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री/श्रीमती रामानन्द पदनाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, बरेली को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)**/नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

25-07-24

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

DISTRICT JUDGE
BAREILLY